राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.1(6)(12)परि/स्था/85 जयपुर, दिनांकः

अधिसूचना

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(29)परि/स्था/99/पार्ट/2154 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर (उत्तर) को बंद करने के फलस्वरूप मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के प्रयोजनार्थ राज्य के क्षेत्रों के क्षेत्र विस्तार का पुनः निर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.2 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पूर्व में इस प्रयोजनार्थ जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 31454 दिनांक 03.09.2013 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

"अधिसूचना संख्या प.1(6)(12)परि/स्था/85/31454 दिनांक 03.09.2013 में बिन्दु संख्या 1 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

1	जयपुर क्षेत्र	परिवहन जिला जयपुर, दूदू, कोटपूतली, शाहपुरा एवं चौमूं	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जयपुर

"

राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु0)

क्रमांकः प.1(6)(12)परि/स्था/85/2174-85 जयपुर, दिनांकः 9.2.2015

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः--

1. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 09.02.2015 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
6. निजी सहायक, सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर।
7. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)।
8. समस्त अपर परिवहन आयुक्त/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
9. समस्त उपायुक्त (प्रवर्तन)..................................।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
11. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी को विभागीय वैब साईट अपडेट करने बाबत्।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु0)
संयुक्त शासन सचिव (मु0)